

**राज्य निर्वाचन आयोग, हरियाणा
निर्वाचन सदन, प्लाट नं 2, सैकटर 17
पंचकूला।**

अधिसूचना

क्रमांक एस.इ.सी./ई-ए/2010/6094

दिनांक :- 16.07.2010

**हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 161 की उपधारा (4) का
अनुसरण करते हुए, हरियाणा राज्य निर्वाचन आयुक्त एवं द्वारा निम्नलिखित व्यक्ति का नाम
जो सरपंच, ग्राम पंचायत खेड़ी, खण्ड नाथूसरी चौपटा, जिला सिरसा से आम चुनाव, 2010 में
निर्वाचित हुआ हैं अधिसूचित किया जाता है -**

क्रमांक संख्या	ग्राम पंचायत	वार्ड नं	नाम	पिता/पति का नाम	पद का नाम	वर्ग
1	[KWh]	..	सावित्री	रणजीत सिंह	सरपंच	महिला

2. यह अधिसूचना पंजाब एवं हरियाणा, उच्च न्यायालय में लम्बित याचिका नं 3403 आफ 2010 के अंतिम निर्णय पर निर्भर है।

दिनांक पंचकूला
16 जुलाई, 2010

धर्म वीर
राज्य निर्वाचन आयुक्त,
हरियाणा।

**राज्य निर्वाचन आयोग, हरियाणा
निर्वाचन सदन, प्लाट नं 2, सैक्टर 17
पंचकूला।**

अधिसूचना

क्रमांक एस.इ.सी./ई-ए/2010/6096

दिनांक :— 16.07.2010

**हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 161 की उपधारा (4) का
अनुसरण करते हुए, हरियाणा राज्य निर्वाचन आयुक्त एवं द्वारा निम्नलिखित व्यक्ति का नाम
जो पंच, ग्राम पंचायत जीवननगर, खण्ड ऐलनाबाद, जिला सिरसा आम चुनाव, 2010 में
निर्वाचित हुए हैं, अधिसूचित किया जाता है :—**

क्रमांक संख्या	ग्राम पंचायत	वार्ड नं	नाम	पिता/पति का नाम	पद का नाम	वर्ग
1	thouuxj	1	जसवन्त सिंह	तेजासिंह	पंच	अनारिक्षित

2. यह अधिसूचना पंजाब एवं हरियाणा, उच्च न्यायालय में लम्बित याचिका नं
3403 आफ 2010 के अंतिम निर्णय पर निर्भर है।

**दिनांक पंचकूला
16 जुलाई, 2010**

**धर्म वीर
राज्य निर्वाचन आयुक्त,
हरियाणा।**